राजस्थान सरकार
कारखाना एवं बायलर्स निरीक्षण विभाग

No. F.3(1)Legal/F&B/05/648 जयपुर, दिनांक: 27/5/16

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या F3(1)Legal/F&B/05/3043 दिनांक 25.03.2006 के द्वारा राज्य में कारखाना अधिनियम के सरल अनुपालन के दृष्टिकोण से कारखानों द्वारा स्वअभिप्रमाणन–सह समेकित वार्षिक विवरणी योजना लागू की गयी थी। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा श्रम निरीक्षण व्यवस्था में सुधारो के मध्यनजर निम्न जोखिम (Low Risk Industries) वाले ऐसे उद्योग जिनका श्रम अधिनियमों के अनुपालन का इतिहास संतोषप्रद रहा है, को निरीक्षण की प्रक्रिया से विमुक्ति प्रदान करने या सभी श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत भौतिक निरीक्षण के स्थान पर स्वअभिप्रमाणन की अनुमति देने सम्बन्धित व्यवस्था निरूपित करने का परामर्श दिया गया है।

सम्यक विचारोपरान्त निम्न जोखिम वाले वैसे सभी कारखानें जिनका कारखाना अधिनियम के अनुपालन का इतिहास संतोषप्रद रहा है, को भौतिक निरीक्षण के स्थान पर स्वअभिप्रमाणन की सुविधा इस शर्त के साथ अनुमान्य की जाती है कि ऐसे कारखानें प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रेल तक RajFAB (www.rajfab.rajasthan.gov.in) पोर्टल पर विहित वार्षिक विवरणी अपलोड करेगें।

जो कारखाने निर्धारित समय सीमा 30 अप्रेल तक अपनी विहित वार्षिक विवरणी अपलोड नहीं करेगें उन्हे इसका लाभ नहीं मिलेगा।

(मुकेश जैन)
मुख्य निरीक्षक एवं पदेन उप सचिव
कारखाना एवं बायलर्स निरीक्षण विभाग